

अलय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज०)  
अन्तिम डिक्री

संख्या 172/2018

धारा अन्तर्गत 188,53 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक : 11.02.2023

श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां  
उपरिस्थिति अभिभाषक वादी- श्री वी०के० गौतम एड० अभिभाषक प्रतिवादी-

वाद शीर्षक

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र भूरालाल जाती तेली निवासी पुरानी सिविल लाईन, बारां जिला बारां राज०
2. श्रीमति राखी कुमारी पत्नी श्रीमुरारीलाल जाती तेली निवासी बारां जिला बारां राज०
3. मनिषा पत्नी मनोज जाती तेली निवासी बारां जिला बारां
4. श्रीमति कृष्णा पत्नी यशवन्त कुमार जाती तेली निवासी बारां जिला बारां
5. श्रीमति सीमा पत्नी श्री विनोद कुमार जाती महाजन निवासी श्री जी चौक बारां जिला बारां राज०

-वादीगण

बनाम

1. कृष्णमुरारी पुत्र श्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम-खंडगांव तहसील संगोद जिला कोटा (राज०)
2. दिनेश पुत्र श्री रामगोपाल जाति महाजन निवासी गणेश तालाब कोटा जिला कोटा (राज०)
3. महेंद्र पुत्र श्री रामकिशन जाति राजपूत निवासी कोटा जिला कोटा (राज०)
4. महावीर प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ जाति किराड निवासी पंचवटी कॉलोनी बारां जिला बारां (राज०)
5. सूरजमल उर्फ भैरूलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम -नलका तहसील बारां जिला बारां राज०
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

-प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुसृत डिक्री निर्गत की जाती है कि-

प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार विवादित आराजी वाके ग्राम नलका तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है-

नाम खातेदार	ख० न०	रकबा	लगान	दिशा
1. कृष्णमुरारी पुत्र श्री नंदकिशोर हि० 285/1920 जाति ब्राह्मण, दिनेश पुत्र श्री रामगोपाल हि० 856/1920 जाति महाजन, महावीर प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ हि० 494/1920 जाति किराड महेंद्र पुत्र श्री रामकिशन हि० 285/1920 जाति राजपूत	80	1.18 हे०		उत्तरी
2. सूरजमल उर्फ भैरूलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड़ सा० देह	80	0.12 हे०		दक्षिणी
3. रामस्वरूप पुत्र भूरालाल हि० 1/4 जाति तेली, श्रीमति राखी कुमारी पत्नी श्रीमुरारीलाल हि० 1/4 जाति तेली, मनिषा पत्नी मनोज हि० 1/4 जाति तेली, श्रीमति कृष्णा पत्नी यशवन्त कुमार हि० 1/4 जाति तेली	80	0.64 हे०		मध्य

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है।

आदेश, श्री निम्नानुसार ४० का व्यवस्था-नुतीन द्वारा को प्रदान किया गया।  
उक्त आदेश तहसीलदार एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 11.02.2023 को निर्गत किया गया।



उपखण्ड अधिकारी



क्र. सं.	व्यय अर्थ	व्यय-नुतीन	प्रतिवादी
1	अनुसूत्र/लिखित कथन		
2	अभिभाषक पत्र (रटामप-लिखित सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (रटामप-लिखित सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (रटामप-लिखित सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अ-च/सतिपूर्ति		
9	व्याज ( )		
10	योग		



असमर्थ है विकास आराजी का एक खास न होने से बड़ी को अपने एक हिस्से की आराजी के विकास एवं पुष्पा व केक है एक प्राण कहे से नरी परेशानी का सामना कला पर रहा है इस कारण बड़ी विकास आराजी का विभिन्न विभाग कलोन का अधिकारी है बारी गज के एक हिस्से की आराजी के शाहिष्प कले कायम से व्यवधान न कहे काका बड़ी प्राई बारी गज के विरुद्ध स्थायी विधेयात्रा प्राण कहे का अधिकारी है बाद कायम दिनांक 1-8-2018 को बारी गज बरा आपसी सहमति से विभाजन से प्राई बारी गज है किसे गपे विवेक पर प्राई बारी गज बरा कोशे जवाक न देवे से तटील काय से उत्पन्न हुआ बारी गज बरा काड स्वीकार कले का विवेक किया है।

बारी का काड इत रजि कर प्राई बारी गज को गपे लकन लखड किया गया। प्राई बारी गज के लकन काड तलील अत वाक्यु इलक के न्याया से उध नही सेवे के काय उमेक विरुद्ध एक लकन कारवाही की गयी बारी गज बरा कले पर के लकन से नकल कलावही उक्त नलक लकन 2021-24 खास से 20 पेज की गयी साध्य बारी के PW1 रामलकन, PW2 तील का प्राण पर पेज किम गया।

इस अधिकाधिक बारी गज लुकी गयी इत के दोरात वकील बारी बरा काड पर से आंकि लपे को दोहराया गया। वकील बारी का कथन है कि विकास आराजी नके उक्त नलका के विरुद्ध है उक्त आराजी बारी गज बरा लुकी की गयी थी। लख है ही बारी गज का कलका कायम नलका आ रहा है विकास आराजी का बारी गज अपने-अपने हिस्से अडकल कराना चाहे है लखि रजल लकल से खिलने काकी लहापर एड KCC कले से किरी उकल की कोश परेशानी का लकन न कलका है। प्राई बारी गज है विकास आराजी का कथन, करार के लिए कथ से उमेके साध गला कल विद्य बारी अपने हिस्से प्रक-प्रक कराना चाहे है बारी का काड स्वीकार कल बारी गज की आराजी हिस्से एड कले अडकल प्रक-प्रक विभाजन किया जाकल रागल रिपोर्ट से अलग-अलग कोरे इत किया गया।

इस अधिकाधिक बारी गज लुकी गयी पलावही एड रिपोर्ट का अकेलकन किया गया। उक्त नकल कलावही उक्त लहाका नलकाय लकन 2021-24 खास से 20 के अडकल बारी गज एड प्राई बारी गज के संयुक्त खातेदारी से इत है बारी गज एड प्राई बारी गज का हिस्सा अलग अलग इत 44 गलावही है। सुनाकिसे विवेक अडकल बारी गज अपने-अपने हिस्से अलग-अलग कोरे इत कलका - चाहे है कि विकास आराजी संयुक्त खातेदारी से इत सेवे के काय पक्षकारण से बाद से विकास की विधि बारी लगी है आ विर बारी गज का काड स्वीकार कल हिस्से अडकल

दृष्ट-दृष्ट बन्धन कट अलग-अलग खारे डर्स किदा कारा  
-मानसिक है।

### दिवालय अडेरे

उपरोक्त डिपेचननुसार गरी गण का काउ स्वीकार  
किदा कारा से विकसित आरामी नरु जल नलका तह कारा के ख.ने.  
80 रकबा 1.94 हे. में गरी गण का खेले अडुका दृष्ट-दृष्ट  
विभाजन कट विभाजन प्रहाण किजवाण डेड तहमीलुजा वारा को ओडुकि  
किदा कारा है। तदुतरुप प्राप्तिके सिद्धि पत्र गरी है।

विषय विषयमा कारा करे उजलाह लुगादा गदा।

ॐ

( दिवांशु शर्मा )

उपखण्ड अधिकारी

दृष्ट-दृष्ट अडेरे-कारा

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

प्रार्थना डिक्री

172/18

धारा अंतर्गत 53, 188 RTA

निर्णय दिनांक 18.11.21

श्री दिवाकर प्रसाद आर ए. एच उफ एण्ड अधिकारी बारां

स्थिति - अभिभाषक वादी श्री वीरेन्द्र गणेश एड.

अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

1. रामलाल उर्फ शंखाल जाई देवी (2) श्रीमते राधा देवी पुरारीलाल जाई देवी वि वाद
3. श्रीमते कवीर देवी गणेश जाई देवी (4) श्रीमते कृष्ण देवी प्रशांत कुमार जाई देवी वि वाद
5. श्रीमते लीला देवी विनोद कुमार जाई देवी गणेश वि श्रीमते मोहन बारां

पत्राण

1. कृष्णपुरी उर्फ नरसिंहर जाई देवी गणेश विवादी रुठडगोन तह. हांगेड विवादी कोष
2. दिवेश उर्फ रामगोपाल जाई देवी गणेश वि गणेश गणेश कोष
3. गणेश उर्फ रामसिंह जाई देवी गणेश वि कोष
4. फारुख उर्फ गणेश जाई देवी गणेश वि देवकी केशुनीकोष कोष
5. राजेश उर्फ गणेश उर्फ रामनाथ जाई देवी गणेश वि गणेश तह बारां
6. राम गणेश उर्फ गणेश उर्फ गणेश बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

कारिगल का कांड सीलाए किया गया है विवादी कारिणी को शान गलका तह. बारां के ख. नं. 80 रकबा 1.95 हे. के का जम का हिस्से अडकार प्रथम - प्रथम विवादी नर विवादी उरुड विवादी उरु गणेश बारां को आदेशित किया गया है।

साथ ही नियमानुसार ..... रु० का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
 उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18.11.21 को निर्गत किया गया।

*(Signature)*

उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		

